मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–४६/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ५५२/२०१६)
नवनीत कुमार रेजा बनाम संजीव उपाध्याय
२७.११.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची नवनीत कुमार रेजा द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.१०.२०१९ को विपक्षी आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इं. कं. लि. व याची के मध्य सुलहनामा के आधार पर निर्णीत हो चुकी है तथा विपक्षी ने सुलहनामा के अनुसार २१०००/–रु. संबंधित न्यायालय में जमा कर दी है। अतः जमाशुदा धनराशि उसके पक्ष में रिलीज किये जाने की कृपा की जाए। समर्थन में ४सी२ स्वयं का शपथपत्र, ५सी१ आधार कार्ड की छाया प्रति, ६सी१/१ लगायत ६सी१/३ एम.ए.सी.पी. सं. ५५२/२०१६ नवनीत कुमार बनाम संजीव कुमार उपाध्याय आदि में पारित निर्णय/ आदेश की सत्यप्रतिलिपि मय सुलहनामा व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गई हैं।

प्रार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने शपथपत्र ४सी२ में यह कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कोई स्थगन नहीं है तथा न ही कोई अपील विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध एम.ए.सी.पी. सं. ५५२/२०१६ नवनीत कुमार बनाम संजीव कुमार उपाध्याय आदि में पारित निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि.), झाँसी द्वारा दिनाँक ०१.१०.२०१९ को सुलहनामा के आधार पर निर्णीत किया जा चुका है। इस निर्णय की प्रति https://districts.ecourts.gov.in/jhansi (Link) पर भी उपलब्ध है। उक्त के अनुपालन में २१,०००/–रु. क्षतिपूर्ति की धनराशि जरिए एकाउण्ट पेई चेक/ई पेमेन्ट याची को भुगतान किया जाना है। दौरान बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित उक्त धनराशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा है। कार्यालय आख्या दिनाँकित ०४.११.२०२० के अनुसार पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी के स्टेटमेन्ट के अनुसार रु. २१,५४६/– पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में जमा है। प्रार्थी की ओर से अपने खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गई है। मेरे विचार से न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में जमाशुदा धनराशि २१,५४६/–रु. प्रार्थी/याची के बैंक खाते में जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित किये जाने योग्य है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ५५२/२०१६ (प्रकीर्ण वाद सं. ४६/२०२० नवनीत कुमार रेजा बनाम संजीव उपाध्याय) के प्रकरण में जमा क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर देंः–

Applicant/ petitioner	Amount in Rs.	+ (%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
NAVNEET KUMAR REJA	21546	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	1939615626	Central Bank of India Barwasagar, Jhansi	CBIN0280179
Total	21546	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.,एम.ए.सी.टी.,झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.27 16:20:23 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI